Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the ...
	कपाराम S/0 लुम्बाराम कटान रास्ता 676, अचलाराम के फर्जी अंगूठा निशान के संबंध में स्पष्टीकरण दें। Prinjoka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर पत्रावली दिनांक 26/02/24 को वास्ते आदेश पेश हो। स्थगन आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है। Prinjoka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
26/02/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बहस प्रार्थी- अचलाराम के वारिसान की खातेदारी में ~~33~~ कुल 72 बीघा 12 बिस्वा, ख.सं. 33/1, 424/1, 665/1, 666/1, 784/1, 785, 805/1, 807, 681 की भूमि है। उक्त भूमि संवत 2002 में कब्जे के आधार पर अचलाराम एवं शिवनाथराम के नाम 1/2 हि. दर्ज हुई। यह allotment नहीं था। वर्ष 1963 में लिखी वसीयत के अनुसार शिवनाथराम, पूसाराम के गोद चला गया और इस वसीयत का राजस्व रिकॉर्ड में execution भी करवा लिया गया। उसके पश्चात सभी परिचय-पत्र आदि दस्तावेजों में शिवनाथराम S/0 पूसाराम नाम लिखवा गया। वर्ष 2013 में बद्रीराम द्वारा बंटवारा का दावा लगाया गया, जिसमें	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
प्रति सं 01 व 02 के रूप में क्रमशः अचलाराम व शिवनाथराम संयोजित थे। इसके अलावा एक अन्य बंटवारे का दावा अनवान शिवनाथराम V/s बद्रीराम नाम से पेश हुआ, जो प्रति सं. 02 मृतक होने के आधार पर अबेट हो गया। गोद जाने के बाद पैतृक संपत्ति पर अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उपखंड अधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 11/09/19 की पालना में M. No. 923 भरा गया। बद्रीराम वगैरह द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत appeal की आदेशिका दिनांक 28/07/20 के अनुसार न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं माना है। ख. सं. 807 में फसल बुवाई के समय दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसकी FIR की प्रति संलग्न है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है कि प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः प्रा. पत्र स्वीकार किया जावे।" प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान कुछ judgements पेश किये गये, जो निम्नानुसार है- 1. Munni Devi V/s Bahadur Singh BoR judgement - " Petitioner is a recorded Khatedar, no - possession of non- petitioner over disputed land, no- interest of non- petitioner in Possession of disputed land -	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER Ju.

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief
	recorded Khatedar is automatic Prima facie no case is made out in favour of non-petitioner."	
	2. RRT 2021 page 613- TI decide करने में 3 बिंदुओं पर विश्लेषण किया जाता है- प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति। प्रार्थियां recorded खातेदार हैं, अपने ससुराल में रहती हैं। आवश्यक नहीं कि काश्त के लिए कोई उसी गांव में रहे। एक recorded खातेदार का कब्जा स्वतः माना जाता है, जब तक कि उसके विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत ना हो।	
	3. Babulal & Ors. v/s Prahlad & Ors BoR judgement-" Adopted person lost his all rights in the family of original father." प्रश्नगत रकबा जमाबंदी संवत 2041 से 2044 में मन्नालाल s/o ओंकार के नाम का अंकन है। खातेदार मन्नालाल के फौत हो जाने के कारण नामान्तरकरण बाबूलाल, सत्यनारायण, प्रेमशंकर पिसरान अणदीलाल के नाम का अंकन है। अणदीलाल जो छगनलाल के भाई मन्नालाल के यहाँ बचपन से ही गोद चला गया, लेकिन छगनलाल की विरासत में सहवन से अणदीलाल का नाम अंकित हो जाने से प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।"	

G.P.Ju.

FORM No. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	वक्त आदेश लेखन अधि. प्रार्थीगण की ओर से आदेशिका दिनांक 23/02/24 की पालना में वाद में तथ्य छुपाने के संबंध में स्पष्टीकरण पेश किया गया।	
	मुताबिक बहस अधि. अप्रार्थीगण " दावे में माननीय RAA में लंबित appeal के fact को छुपाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश पर्चा खतौनी में लगान का हवाला नहीं है ना ही किसी प्रकार का जागीरदारी लगान भरा गया, यह पट्टा ठिकाना है, जो self-acquired property की श्रेणी में आता है। पूर्व में हुई वसीयत जिसका हवाला प्रार्थीगण द्वारा बहस में दिया गया है, वह अलग-अलग handwriting में है, जिसकी FSL report संलग्न है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पूर्व बंटवारा में ख. से. 424 का उल्लेख नहीं है, जो विवाद लंबे समय से चल रहा था। पूर्व बंटवारा जिसका हवाला प्रार्थीगण द्वारा दिया गया है, उसके संबंध में तहसीलदार का आदेश पेश नहीं किया गया है। उपखंड अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में दर्ज प्रकरण वर्ष 2018 में restore किया गया। इस प्रकरण की आदेशिका दिनांक 03/01/19 controversial है। आदेशिका दिनांक 05/08/19 के अनुसार जिरह का	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the
	अवसर ना देते हुए सीधे बहरा की गई, जो गलत है। आदेशिका दिनांक 13/08/19 भी विरोधाभासी है। आदेश दिनांक 11/09/19 की इजराय भी पेश नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04/06/23 को लड़ाई-झगड़े का हवाला दिया गया है, जबकि प्रा. पत्र अंतर्गत 107-151 में अलग तिथि अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा गलत वंशावली पेश की गई है। ख.सं. 807 में संवत 2077 के दौरान बाजरी कुवाई के समय विवाद हुआ। वर्तमान न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय RAA में appeal लंबित है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।"	
	~~उपरोक्त तथ्यों, बहस~~	
	अप्रार्थीगण द्वारा मा. सुप्रीम कोर्ट का Dalip Singh v/s State of UP & Ors. में ~~पेश~~ judgement पेश किया गया "Appellant making incorrect, misleading, false statements before prescribed authority, High court as well as Supreme Court - efforts made by concerned authority to distribute surplus land among landless persons thereby frustrated - Appeal liable to be dismissed on that ground."	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेज, citations का निम्नानुसार विवेचन करते हुए प्रा. पत्र का निस्तारण किया जाता है- 1. प्रार्थीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 23/02/24 की पालना में प्रा. पत्र में तथ्य छुपाने का स्पष्टीकरण लिखित में आज दिनांक 26/02/24 को पेश हुआ। स्पष्टीकरण में तथ्य छुपाने की वजह कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। अतः in light of judgement of H' Supreme Court in case Dalip Singh v/s State of UP & ors. साबित होता यह प्रार्थीगण के विरुद्ध है। 2. राजस्व मूल वाद सं. 180/2019 : बद्रीराम वगै. v/s (धारा 53, 88, 188) (अनवान बद्रीराम वगैरह) विवेचनानुसार अचलाराम के का. मु. को पेश हुआ यह वाद दिनांक 01/08/16 है, अनवान बद्रीराम जिसका प्र. सं. 494/2017 v/s अचलाराम। इस प्र. सं. 494/2017 में न्यायालय आदेश दिनांक 06/11/18 के अनुसार - " प्रति. सं. 02 का देहांत दिनांक 26/10/17 को हो गया था एवं 90 दिवस की अवधि में का. मु. की कार्यवाही नहीं की गई, अतः वाद अबेट होने से खारिज किया जाता है।"	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the
	उक्त वाद में प्रति. सं. 01 (अचलाराम) की ओर से जवाब-दावा मय counter claim पेश था, अतः counter claim की हद तक वाद चलने योग्य है। उक्त counter claim के आदेश से शिवनाथ-राम का नाम revenue record से हटाया गया एवं 1/2 हि. प्रति. सं. 01 के का. मु. का नाम revenue record में अंकन किया गया। जो भी दस्तावेज उक्त प्रकरण में पेश किये गये हैं, वे प्रारंभिक डिक्री तक के हैं, जिसमें 1/2 हि. प्रति. सं. 01 के का. मु. के नाम दर्ज हुआ है, इस आदेश में कब्जे अनुसार revenue record में अंकन का उल्लेख है। उक्त आदेश की पालना में राज. काश्तकारी नियम 18 ता 21 अनुसार तहसीलदार से प्राप्त पालना report संलग्न नहीं है। मुताबिक प्रकरण आदेशिका वादीगण को जवाब-दावा पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये गये, किंतु जवाब पेश नहीं करने पर जवाब-दावा बंद कर दिया गया। आदेशिका दिनांक 05/08/19 (as per objection by non-applicants) – "साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किये गये। वास्ते बहस ....." अर्थात as objected by non-applicants जिरह हेतु अवसर नहीं दिया गया। चूंकि counter claim अंतर्गत धारा 53, 88, 188 पेश किया गया था।	

.P.Ju.

FORM No. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	मुताबिक डिक्री पर्चा - " प्रति· सं· 01 के का· मु· का counter वाद स्वीकार किया जाकर... ...." इससे स्पष्ट है कि प्रति· सं· 01 का counter claim पूर्ण स्वीकार किया गया है अर्थात धारा 188 के तहत Permanent injunction relief भी स्वीकार किया गया है।	
	आदेश दिनांक 11/09/19 के पश्चात m no. 923 (05/12/19) में राजस्व record में अंकन किया गया।	
	आदेश दिनांक 11/09/19 के अनुसार प्रथम-दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।	
	3. राजस्व appeal No. ~~84~~ 902/2020 (अनवान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर दीपू ~~बद्रीराम~~ वगै. v/s अचलाराम के का· मु· वगै.) आदेशिका दिनांक 12/04/21 के अनुसार राजस्व वाद सं· 494/2019 में counter claim को restore करने की सूचना वादीगण को नहीं दिया जाना पाया जाता है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए पारित किया जाना प्रथम-दृष्ट्या पाया जाता है। प्रथम-दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते हैं. अतः respondents 1/1 ता 1/5 (अचलाराम के का· मु·) को जरिए TI कुल रकबा 145-04 बीघा	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ... of the ...
	का बेचान। हस्तांतरण नहीं करेगा उक्तानुसार प्रथम- दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।	
4.	राजस्व appeal: (राजस्व वाद सं. 555/2017 अनवान शिवनाथ v/s अचलाराम में पारित आदेश दिनांक 06/11/18 के विरुद्ध) आदेश के तहत appellants को पूर्व प्रस्तुत वाद सं. 180/2013 में चाराजोही का अवसर दिया गया। चूंकि इस प्रकरण में केवल यह निर्धारण हुआ है कि दो वाद में कार्यवाही पृथक चलेगी अथवा एक साथ चलेगी। इसमें record of rights प्रभावित करने वाले तथ्य नहीं हैं, अतः TI निर्णयन में इसकी आवश्यकता नहीं है।	
5.	राजस्व appeal No. 84/2020: (अनवान बद्रीराम वगै. v/s अचलाराम के का. मु. वगै.) (राजस्व वाद सं. 180/2013 में आदेश दिनांक 11/09/19 के विरुद्ध) उक्त appeal में स्थगन आदेश नहीं है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।	
6.	वसीयतनामा वर्ष 1963: (फुसाराम S/o ठाकर द्वारा) - "वसीयतनामा द्वारा मेरे नाम की जमीन वगैरा का कब्जा शिवनाथ S/o हीरा को सुपुर्द करता हूँ, जिनको मेरी मौजूदगी में एवं मरने के बाद शिवनाथ और उसकी औलाद भोगेंगे। हीरा जी जिसके तुम दो लड़के हो उसमें तुम्हारा किसी ...... न होगा।"	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	उपरोक्त दस्तावेज अपंजीकृत है, जिसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना वर्तमान न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। 7. बंटवारा प्रस्ताव: इसमें नोट अंकित है - " मैं शिवनाथराम फूसाराम के गोद चला गया हूँ। अतः मेरा 1/4 हि. खातेदारी से निकालकर समस्त खातेदारी मेरे भाई अचलाराम के हक में करावे।" इस पर शिवनाथराम की अंगुष्ठ निशानी भी है। इस उक्त बंटवारा प्रस्ताव अपंजीकृत है। इस प्रस्ताव पर तहसीलदार द्वारा जारी आदेश की प्रति भी पत्रावली में पेश नहीं हुई है। इस प्रस्ताव में ख. सं. 424 का उल्लेख नहीं है। इस पर अप्राथीगण द्वारा पेश FSL report के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव की handwriting में dissimilarity है। बंटवारा प्रस्ताव अपंजीकृत दस्तावेज है, साथ ही किसी दस्तावेज की वैधता अथवा अवैधता तय करना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है - प्रार्थीगण द्वारा राजस्व न्यायालय वाद सं. 180/2013 में अलग-2 पक्षकारों द्वारा निर्णय दिनांक 11/09/19 के विरुद्ध की गई appeal का तथ्य छुपाया गया है। उपरोक्त में से राजस्व appeal No 90/2020 में प्रथम दृष्ट्या मामला भी प्रार्थीगण के विरुद्ध तय हुआ है।	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ... of the ...
	उपरोक्त appeals में यदि विचारण न्यायालय के decision को set aside किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति का प्रश्न खड़ा हो सकता है। अतः उत्तरदाता को पाबंद किया जाता है कि वे खाता सं. 253 के record की यथास्थिति बनाए रखें। (माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 12/04/21 के अनुसार)। पूर्व में न्यायालय द्वारा धारा 188 के तहत वाद स्वीकार किया जा चुका है। अतः मूलवाद में प्रार्थीगण साबित करें कि पुनः इस न्यायालय में धारा 188 के तहत दावा लाने का क्या औचित्य है। फैसला पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर